संख्या-01/2024/1658/004-87-01002-001-2-2022

प्रेषक,

सुनील कुमार चौहान,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग लखनऊ रू 02 जनवरी, 2025

विषयः वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश ऊर्जा नीति के प्रचार-प्रसार हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-4856नेडा/पीयूबी/बजट-प्लान/12-13, दिनांक 26 नवम्बर, 2024 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-70 के अन्तर्गत यूटिलिटी स्केल बैट्री स्टोरेज सौर ऊर्जा परियोजनाओं हेतु पूंजीगत उपादान मद संख्या-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि रू0 10000/- लाख (रूपये एक अरब मात्र) में हो रही बचत में से वित्तीय वर्ष 2024-25 में लेखाशीर्षक 2810021010311 उत्तर प्रदेश ऊर्जा नीति के प्रचार-प्रसार हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से संक्रमित की गयी धनराशि रू0 25.00 लाख (रूपये पच्चीस लाख मात्र) को स्वीकृत कर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

1- यूपीनेडा जिस मद से पुनर्विनियोग कर रहे हैं, उक्त मद में चालू वित्तीय वर्ष में किसी प्रकार की धनराशि की माँग नहीं करेंगे तथा स्वीकृत कार्य पर ही धनराशि व्यय करेंगे।

2- जिस मद में पुनर्विनियोग प्रस्तावित है उक्त मद में प्रस्तावित धनराशि का नियमानुसार सदुपयोग इस वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

3- प्रस्तावित पुनर्विनियोग केवल बजट आवंटन के उद्देश्य से धनराशि की उपलब्धता हेतु किया जा रहा है। यूपीनेडा इसका व्यय समस्त सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए करेंगे।

4- पुनर्विनियोग की जाने वाली धनराशि का सदुपयोग वित्तीय वर्ष में न करने एवं उसके फलस्वरूप होने वाले आडिट आपत्ति हेतु यूपीनेडा उत्तरदायी होंगा।

5- किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता का उत्तरदायी यूपीनेडा का होगा।

6- स्वीकृत धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 04 मार्च, 2024 एवं समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

7- स्वीकृत धनराशि नियमानुसार अपेक्षित आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए व्यय की जायेगी।

8- उक्त स्वीकृत धनराशि उसी मद पर व्यय की जायेगी, जिसके लिये स्वीकृत की गयी है और इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।

9- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उसी कार्य के लिये पूर्व में किसी अन्य योजनान्तर्गत/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही ये कार्य किसी अन्य कार्यक्रम की कार्य योजना में सम्मिलित है।

10- अनुदान के कोषागार से आहरण हेतु बिल अनु सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।
http://shasanadesh.up.gov.in

11- धनराशि का सदुपयोग वित्तीय वर्ष में न करने एवं उसके फलस्वरूप होने वाले आडिट आपत्ति हेतु यूपीनेडा उत्तरदायी होंगे।

12- किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता का उत्तरदायी यूपीनेडा का होगा।

13- यूपीनेडा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।

14- उक्त स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों में निहित प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

15- उक्त स्वीकृत धनराशि से किसी भी अनानुमोदित मद/मदों पर व्यय न किया जाये। अनुदान का बिल अनु सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

16- यूपीनेडा द्वारा अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्त विभाग एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जायेगा।

17- यूपीनेडा द्वारा अवमुक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग समयबतद्ध ढंग से विलम्बतम 31-03-2025 तक कर लिया जाय। अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय की अद्यतन प्रगति का विवरण प्रत्येक माह की 07 तारीख तक नियोजन विभाग/अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को उपलब्ध कराये जायेंगे। इसके अतिरिक्त कार्य हेतु राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतरू कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 02 माह में अर्थात् दिनांक 31 मई, 2025 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण वित्त विभाग एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

18- स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2024/बी-1-607/दस-2024-231/2024, दिनांक 19 जून, 2024 द्वारा तथा समय-समय पर जारी शासनादेशों एवं दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा **संलग्न पुनर्विनियोग प्रपत्र बी0एम0-9 के स्तम्भ-1** में उल्लिखित लेखाशीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध बचतों से पुनर्विनियोग कर वहन किया जायेगा।

19- यह आदेश वित्त विभाग के **संख्या-RE-budget-1-214-E-10-92/X-2024-25-दिनांक: 27-12-2024** में दी गयी सहमति के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20242025 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 070 लेखा शीर्षक 2810021010311 उत्तर प्रदेश ऊर्जा नीति का प्रचार प्रसार मानक मद 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

सुनील कुमार चौहान
अनु सचिव

<u>संख्या-01/2024/1658(1)/004-87-01002-001-2-2022, तद् दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) कोषाधिकारी, लखनऊ।

(4) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10

(5) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

(6) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।

(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सुनील कुमार चौहान
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

जारी
20/12/2024

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A087-20242025-87-01002-001-2-2022

विषय:- उ0प्र0 ऊर्जा नीति का प्रचार-प्रसार

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
070	2810608000506 (यूटिलिटी स्केल बैट्री स्टोरेज सौर ऊर्जा परियोजनाओं हेतु पूंजीगत उपादान)	20 (सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	50,00,00,000 रुपये पचास करोड़ मात्र	50,00,00,000 रुपये पचास करोड़ मात्र	4,00,00,000 रुपये चार करोड़ मात्र	25,00,000 रुपये पच्चीस लाख मात्र	49,75,00,000 रुपये उनचास करोड़ पचहत्तर लाख मात्र	2024-2025
कुल					₹ 4,00,00,000	₹ 25,00,000		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
070	2810021010311 (उत्तर प्रदेश ऊर्जा नीति का प्रचार प्रसार)	20 (सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन))	2,00,00,000 रुपये दो करोड़ मात्र	4,00,00,000 रुपये चार करोड़ मात्र	25,00,000 रुपये पच्चीस लाख मात्र	2,25,00,000 रुपये दो करोड़ पच्चीस लाख मात्र	2024-2025
कुल				₹ 4,00,00,000	₹ 25,00,000		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

(1) स्तम्भ-3 में निम्नलिखित बचत हुई है:-
स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षकों में बचत मानक मद परिवर्तित होने के कारण

(2) स्तम्भ-8 में उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष- स्तम्भ-9 में अंकित व्यय निम्नलिखित कारणों से है। योजना के मानक मद में व्यय के कारण।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पर हुए पुनर्विनियोग को स्वीकृत करने में बजट मैनयूअल के प्रस्तर-150-151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/ परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या:RE-budget-1-214-E-10-92-X-2024-25-दिनांक:27-12-2024

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(सुनील कुमार चौहान)
अनु सचिव

(नील रतन कुमार)
विशेष सचिव

संख्या : 1631 /87-01002(001)/2/2022. दिनांक- 30 दिसंबर, 2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) निदेशक, उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

(2) कोषाधिकारी, लखनऊ।

(3) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-10/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

(4) राज्य योजना आयोग-1

(5) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।

(6) गार्ड फाईल।

आज्ञा से

सुनील कुमार चौहान

अनु सचिव